कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव छ.ग.शासन राजस्व एवं अपदा प्रबंधन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

दिनांकः–15 जुलाई 2021

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ–82/2020–21 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कालम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनयम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की धारा (1) के उपबंधो के अनुसार सर्वसंबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची

भूमि का प्रकार							धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं. एवं अर्जित रकबा (हे.मे)					
1	2	3	4				5	6
रायगढ़	तमनार	मौहापाली	ख.न.	रकबा	ख.न.	रकबा	महाप्रबंधक एन0टी0पी0सी0 तलाईपाली	एन0टी0पी0सी0 रेल लाईन हेतु भूमि अधिग्रहण
			85/1 क	0.110	86/1	0.108		
			कुल–02 कुल रकबा 0.218 हे.					

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्ष के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनिश्यम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा/प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजना के भू–अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा जिला रायगढ़ को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(भीम सिंह)
कलेक्टर जिला रायगढ एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

Scanned with CamScanner